(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 955–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 544/अपील/2009–10.

रामलाल तनय द्वारिका साहू (तेली)
निवासी ग्राम नोढिया तहसील गोपदवनास
जिला सीधी म0प्र0
——— आवेदक

विरूद्ध

1. श्यामकली पत्नी द्वारिका साहू
2. नेमेलाल
3. श्यामलाल दोनों के पिता साहू
तीनों निवासीगण ग्राम नोढिया तहसील गोपदवनास
जिला सीधी म0प्र0
4. मुस0 सुशीला पत्नी प्रेमलाल साहू
5. वैजनाथ तनय प्रेमलाल साहू
कमांक 4. एवं 5 निवासीगण ग्राम इटौही
तहसील गोपदवनास जिला सीधी म0प्र0
——— अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा एवं श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/04/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 544/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29–4–11 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में लिखे होने से दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि मूल भूमिस्वामी शिवधारी आवेदक के बाबा थे। उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 23–3–1992 को प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग की वसीयत संपादित की थी। द्वारिका की विवादित पत्नी की मृत्यु पर्व में हो चुकी थी। अनावेदिका श्यामकली रखेल पत्नी थी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत रखैल पत्नि को संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। आवेदक की बिना जानकारी के अनावेदकगण के पक्ष में संपूर्ण भूमि का वारिसाना नामांतरण करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18–6–2001 के आदेश/निर्देशों का बिना पालन किये तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की है। इसी कारण तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16–2–2010 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। परन्तु अपर आयुक्त ने इन सभी तथ्यों एवं आधारों के विपरीत आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदकगण का वारिसान हक में नामांतरण वर्ष 1992 में हो गया था। आवेदक द्वारा वर्ष 1996 को वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त का आदेश उचित है, अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी शिवधारी प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी थे। आवेदक द्वारा

मृतक शिवधारी की वसीयत के आधार पर 1/2 भाग पर नामांतरण चाहा गया है। अनावेदिका आवेदक के पिता द्वारिका की दूसरी पत्नी है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामांतरण के आवेदन प्रस्तुत होने के पूर्व वारिसाना नामांतरण होना लेख किया जाकर वसीयतनामा को फर्जी/कूटरचित मानकर निरस्त किया है। तहसीलदार को यह तथ्य को साक्ष्य एवं दस्तावेजों साक्ष्यों से प्रमाणित करना चाहिए था कि अनावेदकगण को वारिसाना हक में भूमि प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया है कि वारिसान नामांतरण के पूर्व वसीयत प्रस्तुत नहीं करने से फर्जी एवं कूटरचित किस प्रकार से सिद्ध होती है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः विधिसंगत बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को विधिसंगत मान्य नहीं किया जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29–4–2011 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास/सिहावल का आदेश दिनांक 16–2–2010 यथावत रखा जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार गिर्द–2 तहसील गोपदबनास को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये निर्देशों के अनुसरण में दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उपरांत गुण–दोष निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर